आमजन के लिए बैंकिंग

01

मैं बैंक खाता कैसे खोल सकता हूँ?

यह बहुत आसान है। बैंक खाता खोलने के लिए आपके नवीन फोटो के साथ परिचय एवं पते के प्रमाण देने की आवश्यकता है।

02

'परिचय का प्रमाण' व 'पते का प्रमाण' के लिए मेरे द्वारा क्या दस्तावेज देने होंगे?

पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, मतदाता प्रमाण पत्र, 'उदय' द्वारा जारी आधार कार्ड, नरेगा कार्ड में से कोई भी एक परिचय के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि इन दस्तावेजों में पता भी अंकित है तो ये परिचय एवं पता दोनों का प्रमाण होंगे।

03

यदि मैं चेन्नई में रह रहा हूँ, किंतु मेरे प्रमाण पत्र में नई दिल्ली का पता अंकित है तो क्या मैं चेन्नई में खाता खोल सकता हूँ?

निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते हैं। नई दिल्ली के पते के प्रमाण के साथ आपको पत्राचार के उद्देश्य हेतु चेन्नई का पता उल्लेखित करना होगा।

04

बैंक को परिचय एव पते के प्रमाण की आवश्यकता क्यों होती है?

आपके परिचय एवं पते का प्रमाण 'आपके ग्राहक को जानिये' के तहत बैंक यह निश्चित करते हैं कि वह अपने ग्राहक को पूर्ण (उचित) रूप से जानते हैं।

05

यदि मेरे पास 'परिचय का प्रमाण' के रूप में कोई दस्तावेज नहीं है, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं फिर भी बैंक खाता खोल सकता हूँ?

निःसंदेह आप ऐसा कर सकते हैं। आप बैंक अधिकारी के समक्ष अपने नवीन फोटो पर अपने हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगाकर 'लघु खाता' के रूप में बैंक खाता खोल सकते हैं। फिर भी इस 'लघु खाता' में कई सीमाएं हैं जैसे आपके खाते का शेष किसी समय 50,000 रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए, एक साल में कुल जमा 1,00,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और एक महीने में कुल आहरण 10,000 रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

06

मैं मेरे खाते में किसी सीमा की कोई शर्त नहीं चाहता। किंतु यदि मेरे पास 'परिचय का प्रमाण' का कोई दस्तावेज नहीं है, क्या मैं फिर भी बैंक खाता खोल सकता हूँ?

हाँ, आप फिर भी बैंक खाता खोल सकते हैं यदि बैंक आपका 'लघु जोखिम' वाले ग्राहक के रूप में आंकलन करता है, तो आप निम्न दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं:

(1) केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग, वैधानिक/नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूची के वाणिज्यिक बैंक और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी आपका फोटो लगा परिचय पत्र,

(2) राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपका प्रमाणित फोटो युक्त जारी पत्र।

भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA